बुक नं. 233 क्रमांक 004

परिशिष्ट - घ (नियम-27)

कार्यालय : नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

(छ.ग.) भूमि विकास निगम 1984

भवन के विकास / भवन की अनुज्ञा की स्वीकृति करने या उसकी अस्वीकृति के लिए प्रारूप

क्रमांक : न.पा.नि./भ.अ. Z-3/प्र०क्र० 33/ 2017-18 बिलासपुर, दिनांक 24/09/2018

प्रति,

[illegible] प्रा. लिमि.
द्वारा श्री सतोष शर्मा पिता बजरंग
लाल शर्मा नि० शिवाजी
नगर तेलीपारा बिलासपुर

प्रपोजल नं. 1756

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 05/01/2018 के संबंध में आपको ग्राम तेलीपारा बिलासपुर ख.नं. नजूल शीट नं. — बस्ती वार्ड क्र० 28 में भूमि भवन के विकास निर्माण हेतु निम्नांकित निबंधों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है / स्वीकृति नहीं दी जाती ।

1. स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार सड़क हेतु भूमि एवं निर्धारित सेटबेक छोड़कर ही निर्माण करना होगा ।
2. शासकीय नगर निगम की भूमि अथवा सड़क पर सीढ़ी, चबूतरा, छज्जा आदि का निर्माण न करें।
3. निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण कर निकटस्थ नगर निगम की नाली से जोड़ना होगा । आसपास नाली न होने पर अपनी भूमि पर स्वतः के व्यय पर से सोकपिट का निर्माण करना होगा ।
4. निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर फिल्थ लेवल तक होने एवं पूर्ण होने पर उसकी लिखित सूचना संलग्न प्रारूपों में निगम कार्यालय में देनी होगी ।
5. सेप्टिक लेट्रिन एवं बाथरूम का निर्माण की शर्तों का पालन करना होगा ।
6. यदि आवश्यक हो तो नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23/09/2019 के पूर्व प्रस्तुत करें।
7. निर्माण कार्य के दौरान स्वीकृति पत्र एवं अनुमोदित मानचित्र की प्रति निरीक्षण हेतु स्थल पर रखना होगा ।
8. भू-स्वामित्व एवं अभिन्यास संबंधी विवाद होने की दशा पर या अनुमति के विरूद्ध निर्माण करने की दशा पर अनुज्ञा स्वयं निरस्त माना जावेगा । नाली के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित होगा।
9. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नाली एवं सड़क हेतु भूमि आपके भूखण्ड से भूमि अधिग्रहण किया जावेगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा ।
10. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अनिवार्य रूप से रखना होगा ।
11. छ.ग. भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम 31 का पालन करना होगा ।
12. पर्यावरण की दृष्टि से अपनी स्वतः की खुली भूमि पर कम से कम दो वृक्ष लगाना होगा ।
13. भवन से निकलने वाली सीवरेज पाईप को अण्डर ग्राऊण्ड सीटी सीवरेज पाईप से जोड़ने की अनिवार्यता होगी।
14. निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न डस्ट, प्रदुषण नियंत्रण के तहत भवन निर्माण के दौरान धूल से उत्सर्जन को नियंत्रण करने हेतु निर्माणाधीन भवन को ग्रीन नेट से ढंकना अनिवार्य होगा ।
15. निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात् भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा तथा निर्माण कार्य के दौरान निर्माण सामग्री गिराने के 24 घंटे के भीतर उसे निर्माण स्थल पर रखना होगा ।
16. निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में नवीनीकरण कराने का उत्तरदायित्व भवन स्वामी का ही होगा ।
17. दिये गये शर्तों का पालन करते हुए वर्तमान में P.L तक की अनुमति दी जा रही है परीक्षण उपरांत शेष अनुमति दी जावेगी भवन निर्माण स्वीकृति पश्चात भवन स्वामी द्वारा सम्बन्धित निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

टीप: उक्त भवन संबंधी सुरक्षा संबंधी N.B.C पैरा 4 तथा भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम 63 का पालन करना होगा।

टीप: अनुज्ञा स्वीकृति पश्चात निर्माण सामग्री या विध्वंस अपशिष्ट (मलबा) निष्पादन स्वयं करना होगा न करने पर न.पा.नि. बिलासपुर के आदेशानुसार जुर्माना देय होगा।

24.09.18
भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
बिलासपुर (छ.ग.)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
बिलासपुर (छ.ग.)

(P.T.O.)